

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ

विज्ञापन संख्या:07-परीक्षा/2023

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET)- 2023

विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि- 01-08-2023

ऑनलाइन आवेदन / शुल्क जमा करना प्रारम्भ होने की तिथि- 01-08-2023

ऑनलाइन आवेदन/ शुल्क जमा /आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि- 30-08-2023

शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि- 06-09-2023

विशेष कथन- उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 30-08-2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा, जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर दिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 30-08-2023 तक अथवा उसके पश्चात विलम्बतम 07 दिवस के अन्दर अर्थात् दिनांक 06-09-2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है।

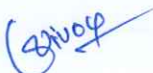
उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-1103/47-का-3-2020-13/17/2020, दिनांक-20 नवम्बर, 2020 द्वारा समूह-‘ग’ के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में उक्त तिथि अर्थात् दिनांक 20-11-2020 के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले समूह-‘ग’ के समस्त पदों पर चयन हेतु चयन सम्बन्धी कार्यवाही द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के आधार पर की जाएगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली उक्त शासनादेश की तिथि अर्थात् 20-11-2020 के पश्चात विज्ञापित किये जाने वाले पदों हेतु ही मान्य होगी व जो पद उक्त तिथि के पूर्व विज्ञापित किये जा चुके हैं, उनके सापेक्ष चयन की कार्यवाही सम्बन्धित विज्ञापन में उल्लिखित प्रक्रियानुसार ही होगी।

1- ऑनलाइन आवेदन-

अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test-PET)-2023 हेतु आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

2- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता-

- 2.1- द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक समस्त अभ्यर्थियों द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है।
- 2.2- उल्लेखनीय है कि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 का परिणाम दिनांक 25-01-2023 को घोषित किया गया था, जोकि 01 वर्ष की अवधि अर्थात् दिनांक 24-01-2024 तक प्रभावी है। अतः आयोग द्वारा विभिन्न पदों के सापेक्ष चयन हेतु मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु जो विज्ञापन







दिनांक 24-01-2024 तक निर्गत किये जायेंगे, उन परीक्षाओं में प्रतिभाग हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी।

2.3- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के परिणाम की वैधता अवधि समाप्त होने के उपरान्त मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु निर्गत किये गये विज्ञापनों के सापेक्ष मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की शार्टलिस्टिंग प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी।

2.4- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि मात्र प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के परिणाम/स्कोर के आधार पर किसी भी पद के सापेक्ष चयन किये जाने हेतु कोई दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

3- आयोग की परिधि में आने वाले पद- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले पदों का विवरण निम्नवत् है-

3.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम- 2014 की धारा-2 में निम्नवत् उल्लेख किया गया है- “इस अधिनियम के उपबन्ध समूह ‘ख’ से निम्न समूह ‘ग’ के ऐसे समस्त सीधी भर्ती वाले पदों के सम्बन्ध में, जिसके अन्तर्गत सचिवालय के पद भी हैं, और राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह ‘ग’ के पदों पर भी लागू होंगे। परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य-क्षेत्र से हटा या उसमें जोड़ सकती हैं।”

3.2- उत्तर प्रदेश शासन, कार्मिक अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-91/2812/47-का-3-14-13/7/2006, दिनांक-15 दिसम्बर, 2014 द्वारा अधिसूचना संख्या-1529/79वि.-1-14-1(क)10/2014, दिनांक-04.12.2014 के द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2014 (अधिनियम संख्या 20 सन् 2014) की धारा-2 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, वेतन बैंड-1 (रुपये 5200-20200) ग्रेड पे रू0-1900/- एवं इससे अधिक किन्तु वेतन बैंड-2 (रुपये 9300-34800) ग्रेड पे रू0 4600/- से कम के सीधी भर्ती के समस्त पद, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3.3- विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाले अध्याचनों के सापेक्ष प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के स्कोर की वैधता अवधि में आयोग द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले मुख्य परीक्षा के विज्ञापनों से आच्छादित पदों पर चयन हेतु इस परीक्षा का परिणाम/ स्कोर प्रभावी होगा।

4- ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

5- आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया

आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया को निम्नलिखित पाँच भागों में विभक्त किया गया है-

- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)
- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना (Photo and Signature Upload)
- फार्म के शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)
- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिट करना (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)
- फार्म का प्रिन्टआउट लेना (Print Application Form)

Give

1

नोट – अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपर्युक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएँ एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं।

अभ्यर्थी द्वारा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> पर “ऑल नोटिफिकेशन/ एडवर्टिजमेंट डिटेल्स” (all notification/ advertisement details) पर क्लिक करने पर ऑनलाइन एडवर्टिजमेंट (विज्ञापन) स्वतः प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी उक्त विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और भली-भांति समझ लें कि वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 हेतु वांछित योग्यता, अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य योग्यताएं धारित करते हैं तथा निर्धारित आयु सीमा (18 वर्ष से 40 वर्ष) के अंतर्गत आते हैं। यदि अभ्यर्थी किसी सेवानियमावली अथवा शासनादेश अथवा मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर आयु-सीमा में अतिरिक्त शिथिलता का दावा करता है तो उसके द्वारा उक्त सेवानियमावली/ शासनादेश/ मा0 न्यायालय के आदेश का विवरण व तदनुसार आवेदन हेतु वांछित अतिरिक्त समयावधि का विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरा जाना होगा। अतः आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ करने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वे आवेदन हेतु अर्ह हैं अथवा नहीं व तदुपरांत ही आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। नीचे दिये गये **User Instructions** में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन भरने से संबन्धित दिशा-निर्देश दिए गए हैं। अतः अभ्यर्थी आवेदन भरने हेतु निम्नलिखित **User Instructions** अवश्य पढ़ें:-

User Instructions

a- कैन्डिडेट रजिस्ट्रेशन (Candidate Registration)

- I-** रजिस्ट्रेशन पेज पर अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचनाएं जैसे- नाम, पिता/पति का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी होने सम्बन्धी विवरण, श्रेणी, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, सम्पर्क हेतु मोबाइल नंबर, ईमेल, पता, अनिवार्य शैक्षिक अर्हता (शैक्षिक योग्यता एक या एक से अधिक जो भी हों) का विवरण और अन्य प्रासंगिक सूचनायें सही-सही भरनी हैं।
- II-** ऐसे अभ्यर्थी, जिनके द्वारा पूर्व में प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 हेतु आवेदन किया गया था वे उक्त परीक्षा के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर भी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 हेतु पंजीकरण कर सकते हैं। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 के रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पंजीकरण किया जाता है, तो अभ्यर्थी द्वारा प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2022 हेतु भरी गयी समस्त प्राथमिक सूचनायें प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 के आवेदन पत्र में स्वतः प्रदर्शित हो जायेंगी, जिससे अभ्यर्थी को अपनी प्राथमिक सूचनायें पुनः दर्ज नहीं करनी पड़ेंगी। उल्लेखनीय है कि अभ्यर्थी द्वारा अपना रंगीन फोटोग्राफ (जो पिछले 06 माह में लिया गया हो) व नमूना हस्ताक्षर की स्कैन प्रति (इमेज) पुनः अपलोड करनी होगी।
- III-** अभ्यर्थी द्वारा उपरोक्त सूचनायें भरने के पश्चात Registration पेज पर नीचे की ओर “**Enter Verification Code**” में दिखाये गये वेरिफिकेशन कोड को प्रविष्ट करने के पश्चात “**सबमिट**” बटन पर क्लिक करना होगा। फार्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर “**रजिस्ट्रेशन स्लिप**” प्रदर्शित होगी, जिसमें 11 अंको का रजिस्ट्रेशन नम्बर विवरण सहित प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी इसकी प्रति मुद्रित अवश्य कर लें, जिसका उपयोग भावी कार्यों हेतु किया जायेगा। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन के समय रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट न कर सका हो तो वह ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि तक वेबसाइट के **Applicant Segment** में **Know Your Status** के अंतर्गत “**Print Duplicate Registration Slip**” बटन पर क्लिक कर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर सकता है।

(Signature)

9

X

b- फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना (Photo and Signature Upload)

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानक के अनुरूप होना चाहिए-

- I- चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक/ छाया नहीं होनी चाहिए।
- II- ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो।
- III- चेहरे के दोनों किनारे (दोनों कान) साफ दिखते हो।
- IV- चश्मा पहनने की स्थिति में आँखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए।
- V- कैमरे पर नजर सीधी हो।
- VI- अभिव्यक्ति तटस्थ हो (आँखें खुली, मुँह बन्द)।
- VII- सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है।
- VIII- फोटो का आकार 3.5 से.मी. x 4.5 से.मी. का होना चाहिये। जिसमें फोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो।
- IX- फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो।

अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ उपर्युक्त निर्धारित मानक के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी फाइल का आकार अधिकतम 50 Kb हो। अभ्यर्थी अपना रंगीन फोटोग्राफ jpeg., jpg., प्रारूप में स्कैन कर अपलोड करेंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (हिन्दी/ अंग्रेजी में) निर्धारित मानक (3.5 से.मी. चौड़ा तथा 1.5 से.मी. लम्बा) के अनुरूप होना चाहिए, जिसकी jpeg., jpg., प्रारूप में फाइल का आकार अधिकतम 30 Kb हो। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेजी भाषा के CAPITAL LETTERS में हस्ताक्षर अमान्य होंगे। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं की हस्तलिपि में हिन्दी में अपना नाम अवश्य लिखेंगे।

अभ्यर्थी फोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने के बाद “Continue” बटन को क्लिक करते ही अगले पृष्ठ पर चले जायेंगे।

c- शेष विवरण का भरा जाना (Filling Remaining Part of Form)

इस भाग में अभ्यर्थी को अधिमानी अर्हता (यदि कोई हो तो) तथा स्थायी व पत्र व्यवहार का पता आदि भी भरना होगा। इसके उपरान्त अभ्यर्थी को एक घोषणा (Declaration) से सहमत होना होगा।

घोषणा (Declaration)

वेब पेज के निचले हिस्से में अभ्यर्थियों द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्रारूप प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि घोषणापत्र की अंतर्वस्तु का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लें तथा यदि घोषणा-पत्र से सहमत हो तो Yes का चयन करें, घोषणा से असहमत होने की दशा में फॉर्म भरने के आगे की प्रक्रिया स्वतः रुक जाएगी।

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय अंकित की गयी समस्त प्रविष्टियों को प्रीव्यू (Preview) पृष्ठ पर देखा जा सकेगा। अभ्यर्थी यदि अंकित प्रविष्टियों में कोई संशोधन चाहते हैं तो “बैक” बटन को क्लिक कर अंकित प्रविष्टियों को संशोधित भी कर सकते हैं।

जब अभ्यर्थी आवेदन की अंकित प्रविष्टियों की शुद्धता के विषय में सन्तुष्ट हो जायें तो ‘सबमिट’ बटन को क्लिक करेंगे।

नोट- सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपनी आरक्षण श्रेणी को सावधानीपूर्वक सही-सही भरें। अभ्यर्थियों द्वारा अपनी आरक्षण श्रेणी के आधार पर ही परीक्षा शुल्क जमा किया जाना है। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिवश अपनी आरक्षण श्रेणी गलत भरी जाती है व तदनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो उसे परीक्षा में प्रतिभाग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी व उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन







के समय अपनी श्रेणी गलत भर दी है तो वह इस चरण में शुल्क जमा करने के पहले ही अपनी श्रेणी में बदलाव कर सकता है।

d- फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फार्म सबमिट करना (Fee Payment and Reconciliation & Application Form Submission)

- I-** अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये तत्काल कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया जा सकता। शुल्क का सफल भुगतान होते ही **Payment Acknowledgment Receipt (PAR) Generate** होगी जिसमें Payment का विवरण अंकित होगा। इस पर नीचे की ओर बाईं तरफ प्रिंट बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी **Payment Acknowledgment Receipt (PAR)** को प्रिंट कर सकता है। इसी पृष्ठ पर दाहिनी तरफ **Proceed to download and Print the Application form** बटन को क्लिक कर अभ्यर्थी अपना फार्म अन्तिम रूप से **Submit** कर सकता है तथा उसका एक **Printout** भी ले सकता है।
- II-** यदि अभ्यर्थी द्वारा Credit card/Debit card, Internet Banking द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है, परन्तु शुल्क का समायोजन न हो पाने के कारण अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो ऐसे अभ्यर्थी Homepage पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक **“Update Your Transaction ID by Double Verification”** पर क्लिक कर अपने शुल्क का समायोजन अवश्य कर लें।
- III-** ई-चालान के माध्यम से शुल्क का भुगतान करने हेतु अभ्यर्थी को SBI का ई-चालान download कर SBI की किसी भी शाखा में जाकर निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। शुल्क का भुगतान करने के बाद अभ्यर्थी द्वारा **Applicant Segment** के अंतर्गत **Update Your Transaction ID By Double Verification Mode** के माध्यम से ई-चालान का विवरण भर कर शुल्क का समायोजन किया जाएगा।
- IV-** अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक अथवा उससे एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक दशा में अपने शुल्क का समायोजन कर अपने आवेदन पत्र का Printout अवश्य निकाल लें। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने के बाद अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन का Printout नहीं लिया जा सकेगा। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क के सफल भुगतान एवं समायोजन के उपरान्त ही आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट किया जा सकेगा।
- V-** यदि किसी तकनीकी समस्या व अन्य किसी कारण से अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान तत्काल नहीं कर पाते हैं तो वह शुल्क जमा करने की अवधि में आयोग की वेबसाइट के Home Page पर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गये **Fee Deposition** पर क्लिक कर Credit card/Debit card, Internet Banking या SBI के ई-चालान के माध्यम से वेबसाइट पर दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
- VI -** अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं कर पायेंगे और न ही अपना आवेदन अन्तिम रूप से सबमिट कर सकेंगे।







VII- आवेदन शुल्क –

ऑनलाइन आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क का विवरण निम्नवत है-

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन शुल्क	ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क	शुल्क योग (आवेदन शुल्क + ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क)
1	अनारक्षित (सामान्य)	160.00	25.00	185.00
2	अन्य पिछड़ा वर्ग	160.00	25.00	185.00
3	अनुसूचित जाति	70.00	25.00	95.00
4	अनुसूचित जनजाति	70.00	25.00	95.00
5	दिव्यांगजन हेतु	-----	25.00	25.00

- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों, कुशल खिलाड़ियों एवं महिला अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।
- अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे।

e- फार्म का प्रिंटआउट लेना (Print Application Form)-

अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र अन्तिम रूप से सबमिट करने के उपरान्त ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट **Applicant Segment** में **Know Your Status** के अंतर्गत **Print Detailed Application Form** बटन पर क्लिक कर अवश्य प्राप्त कर लें। अभ्यर्थियों को अभिलेखों की संवीक्षा/परीक्षण के समय इस फार्म की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

यदि अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जा चुका है और अभ्यर्थी अपने आवेदन का प्रिंटआउट नहीं निकाल पा रहे हैं तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Homepage** पर जाकर **Applicant Segment** के अंतर्गत दिये गए लिंक “**Update Your Transaction ID by Double Verification**” पर क्लिक कर शुल्क समायोजन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने शुल्क का समायोजन कर आवेदन पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त कर सकते हैं।

6- आवेदन पत्र में संशोधन-

- I- अभ्यर्थी अंतिम रूप से आवेदन सबमिट करने के बाद ही अपने आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के **Home Page** पर उपलब्ध **Modify Submitted Application** पर click कर वांछित विवरण भरने के उपरान्त जब Login करेगा तो उसके Registered Mobile Number / Email पर एक OTP (One Time password) प्राप्त होगा। अभ्यर्थी द्वारा इस OTP को प्रविष्ट करने के उपरान्त उसका भरा हुआ आवेदन पत्र खुलेगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के किसी भी Field को संशोधित कर सकता है, परन्तु वह अपना Registered mobile Number, Email में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकता है।
- II- आवेदन पत्र में संशोधन इस विज्ञापन में उल्लिखित संशोधन की अंतिम तिथि 06-09-2022 तक ही अनुमत्य है। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इस सम्बन्ध में त्रुटि सुधार/ संशोधन हेतु कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7- शैक्षिक अर्हता-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 में हाईस्कूल/ समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अतः ऐसे सभी अभ्यर्थी, जिनके द्वारा आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि से पूर्व हाईस्कूल/ समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित कर ली गयी है, वे प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 हेतु आवेदन कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन भिन्न-भिन्न प्रकार के संगत पदों के अध्याचन एवं सेवानियमावली के अनुसार ही मुख्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु विज्ञापन जारी किये जायेंगे। इन विज्ञापनों के सापेक्ष अनिवार्य अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी, जो तत्समय प्रभावी प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (Preliminary Eligibility Test- PET) में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड (वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ) जारी किया गया है, के द्वारा ही ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। इनमें से प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (जो तत्समय प्रभावी हो) के स्कोर के आधार पर शार्टलिस्ट किये गए अभ्यर्थियों हेतु यथावश्यक मुख्य परीक्षा/ कौशल परीक्षा/शारीरिक परीक्षा आदि का आयोजन कराया जाएगा।

नोट- हाईस्कूल अथवा इसके समकक्ष से कम अनिवार्य अर्हता के ऐसे पद जो आयोग के परिधि में आते हैं, यदि उनका अध्याचन प्राप्त होता है, तो उनके संबंध में आयोग के निर्णय के अनुसार अलग से परीक्षा/कौशल परीक्षा/शारीरिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी। इस श्रेणी हेतु अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में सम्मिलित होने की बाध्यता नहीं होगी।

8- आयु सीमा-

8.1- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न-भिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न-भिन्न (18 वर्ष/21वर्ष) होती है। अधिकतम आयु सीमा- उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती (आयु सीमा) (दसवां संशोधन) नियममावली-2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 हेतु पात्र होंगे।

8.2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर जारी अधिनियम/शासनादेशों के अनुसार आरक्षित/विशेष वर्गों को अधिकतम आयु सीमा में नियमानुसार छूट अनुमन्य होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए तथा शासनादेश दिनांक 28.11.1985 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट 01 जुलाई, 2023 को इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटाकर परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। दिव्यांगजनों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यतन, नवीनतम विद्यमान शासनादेश दिनांक 3 फरवरी, 2008 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। राज्याधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश सं0-2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27-08-2013 को अनुसार अधिकतम आयु-सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

8.3- ऐसे अभ्यर्थी, जो आवेदन हेतु अधिकतम आयु-सीमा पूर्ण कर चुके हैं परन्तु विभाग की संगत सेवानियमावली/ शासनादेशों/ मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के क्रम में अधिकतम आयु-सीमा में छूट का लाभ

(Signature)

5

X

प्राप्त करते हुए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन में तदनुसार पूर्ण विवरण अंकित करते हुए आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन व परीक्षा परिणाम औपबन्धिक रहेगा। यदि मुख्य परीक्षा अथवा अभिलेख परीक्षण के स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा गलत विवरण/ सूचना के आधार पर आवेदन किया गया है तो उस दशा में सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करते हुए उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

- 8.4- प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 का परिणाम घोषित होने के उपरान्त आयोग द्वारा निर्गत किये जाने वाले विज्ञापनों व उनसे सम्बन्धित मुख्य परीक्षाओं हेतु अभ्यर्थियों की न्यूनतम/ अधिकतम आयु-सीमा की गणना विभागों से प्राप्त अध्याचन, संगत सेवानियमावली एवं विज्ञापन में दिये गये प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

9- आरक्षण-

आयोग द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु प्रकाशित किये जाने वाले विज्ञापनों में उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान अधिनियम/ शासनादेश एवं सेवानियमावलियों के अनुसार लम्बवत (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) तथा क्षेत्रीय आरक्षण (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांगजनों, उत्कृष्ट खिलाड़ियों तथा महिला) अनुमन्य होगा।

10- परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम विज्ञापन के परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

11- लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में विशेष नोट-

यदि प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या अत्यधिक होती है और आयोग के लिए समस्त अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही पाली (Shift)/ दिन में आयोजित किया जाना सुविधाजनक नहीं होता है तो उक्त लिखित परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जा सकती है। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों (Shifts)/ दिनों में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के स्कोर के Normalization की प्रक्रिया लागू होगी। स्कोर के Normalization की उक्त प्रक्रिया के सम्बन्ध में, आयोग की सूचना संख्या-42/05/विज्ञा० अनु०(ग्यारह)/2019, दिनांक- 22 मई, 2019 द्वारा अभ्यर्थियों को पहले ही सूचित किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

12- परीक्षा का कार्यक्रम-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा-2023 की लिखित परीक्षा के कार्यक्रम के सम्बन्ध में यथासमय वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।

13- स्कोर की वैधता अवधि-

प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर, परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने की तिथि से 01 वर्ष तक मान्य होगा।

14- अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

14.01- उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।

14.02- अभ्यर्थी के अर्ह / अनर्ह होने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।







- 14.03- हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- 14.04- आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति मांगे जाने पर प्रस्तुत करना होगा।
- 14.05- परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र में किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। अभ्यर्थी इस सम्बन्ध में अनावश्यक पत्राचार न करें।
- 14.06- आवेदन पत्र में जन्मतिथि का उल्लेख न करने, अधिवयस्क या अल्पवयस्क होने पर, न्यूनतम शैक्षिक अर्हता धारित न करने पर अथवा गलत/मिथ्या सूचना देने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 14.07- किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की प्रश्रुत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 14.08- आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी द्वारा गलत सूचना दी गयी थी और वह अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
- 14.09- कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने/कराने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।
- 14.10- आयोग किसी भी अभ्यर्थी से व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता है। सभी सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जाती हैं अतः सभी परीक्षार्थियों/ अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे विज्ञापन से संबन्धित सभी सूचनाओं हेतु नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट को देखते रहें।
- 14.11- आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं दिया जाता है, इसलिए अभ्यर्थी को विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वह तभी आवेदन करे जब वह संतुष्ट हो जाये कि वह विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह है।
- 14.12- किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन/ अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों को गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/ चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाए जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा आयोग की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित (DEBAR) करने का अधिकार आयोग का होगा।
- 14.13- यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो दूरभाष नंबर 0522-2720814 द्वारा अथवा आयोग की वेबसाइट <http://upsssc.gov.in> के माध्यम से अपनी कठिनाई/ समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं।
- 14.14- ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो।
- 14.15- ऑनलाइन आवेदन सबमिट हो जाने के पश्चात् आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही आवेदन में कोई संशोधन किया जा सकेगा। उक्त तिथि के बाद आयोग कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि जेंडर (लिंग) आदि में कोई परिवर्तन या संशोधन संभव नहीं होगा। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनायें सावधानीपूर्वक सही-सही भरें और गलत फोटो अपलोड न करें। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गई सूचनाएं अंतिम मानी जायेंगी व उनके आधार पर ही अभ्यर्थियों







की विभिन्न मुख्य परीक्षाओं हेतु शार्टलिस्टिंग आदि की कार्यवाही की जाएगी। अतः यदि आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन में कोई त्रुटि अभ्यर्थी के संज्ञान में आती है तो अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक उक्त संशोधन अवश्य कर लें। अभ्यर्थी द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण विवरण भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

14.16- अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन करने की दशा में अन्तिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

14.17- अभ्यर्थी आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि तक ही अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित कर सकते हैं। उक्त तिथि के उपरान्त आवेदन पत्र में किसी भी स्तर पर संशोधन संभव नहीं है एवं इस सम्बन्ध में आयोग से किया जाने वाला पत्राचार मान्य नहीं होगा।



सचिव,

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग,
लखनऊ।





विज्ञापन संख्या-07-परीक्षा/2023 का परिशिष्ट-1

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारम्भिक अर्हता परीक्षा (PET)
का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम

प्रश्नों की संख्या-100

परीक्षा की अवधि-2 घण्टा
पूर्णांक-100

क्र.सं.	विषय	अंक
1	भारतीय इतिहास: (Indian History): ● सिन्धु घाटी की सभ्यता ● वैदिक संस्कृति ● बौद्ध धर्म: गौतम बुद्ध (जीवनी एवं शिक्षायें) ● जैन धर्म: महावीर (जीवनी एवं शिक्षायें) ● मौर्य वंश: सम्राट अशोक ● गुप्त वंश: समुद्र गुप्त, चन्द्र गुप्त द्वितीय ● हर्षवर्द्धन ● राजपूत काल ● सल्तनत काल ● मुगल साम्राज्य ● मराठा ● ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ● ब्रिटिश राज का सामाजिक-आर्थिक प्रभाव	05
2	भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन: (Indian National Movement): ● स्वाधीनता आन्दोलन के प्रारम्भिक वर्ष ● स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन: महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका ● क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय ● विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935 ● भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस	05
3	भूगोल: (Geography): ● भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल ○ नदियां तथा नदियों की घाटी ○ भूजल संसाधन ○ पर्वत, पहाड़ियां तथा हिमनद ○ मरूस्थल और शुष्क क्षेत्र ○ वन ○ खनिज संसाधन (विशेषकर भारत में) ● भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल ● जलवायु तथा मौसम ● टाइम जोन ● जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास	05

4	भारतीय अर्थव्यवस्था: (Indian Economy): ● भारतीय अर्थव्यवस्था(1947 से 1991 तक) ○ योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनायें ○ मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास: निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र ○ हरित क्रांति ○ दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड ○ बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार ● वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था ● वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार ○ कृषि सुधार ○ ढांचागत सुधार ○ श्रम-सुधार ○ आर्थिक सुधार ○ जी0एस0टी0	05
5	भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन (Indian Constitution & Public Administration): ● भारतीय संविधान ○ भारतीय संविधान की मुख्य विशेषतायें ○ राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त ○ मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य ○ संसदीय प्रणाली ○ संघीय प्रणाली, संघ एवं केन्द्रशासित प्रदेश, केन्द्र-राज्य सम्बन्ध ○ न्यायिक ढांचा-सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय ● जिला प्रशासन ● स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थायें	05
6	सामान्य विज्ञान (General Science): ● प्रारम्भिक भौतिक विज्ञान ● प्रारम्भिक रसायन विज्ञान ● प्रारम्भिक जीव विज्ञान	05
7	प्रारम्भिक अंकगणित (Elementary Arithmetic): ● पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव ● प्रतिशतता ● साधारण अंकगणितीय समीकरण ● वर्ग एवं वर्गमूल ● घातांक एवं घात ● औसत	05

8	सामान्य हिन्दी: (General Hindi): ● संधि ● विलोम शब्द ● पर्यायवाची शब्द ● वाक्यांशों के लिए एक शब्द ● लिंग ● समश्रुत भिन्नार्थक शब्द ● मुहावरे- लोकोक्तियाँ ● सामान्य अशुद्धियाँ ● लेखक और रचनाएँ (गद्य एवं पद्य)	05
9	सामान्य अंग्रेजी (General English): ● अंग्रेजी व्याकरण ● अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न	05
10	तर्क एवं तर्कशक्ति: (Logic & Reasoning): ● वृहत् एवं लघु ● क्रम एवं रैंकिंग ● संबंध ● समूह से भिन्न को अलग करना ● कैलेंडर एवं घड़ी ● कारण और प्रभाव ● कोडिंग-डिकोडिंग (संख्या तथा अक्षर) ● निगमनात्मक तर्क/कथन विश्लेषण एवं निर्णय	05
11	सामयिकी (Current Affairs): ● भारतीय एवं वैश्विक	10
12	सामान्य जागरूकता (General Awareness) ● भारत के पड़ोसी देश ● देश, राजधानी एवं मुद्रा ● भारत के राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश ● भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दिवस ● विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय ● भारतीय पर्यटन स्थल ● भारत की कला एवं संस्कृति ● भारत एवं विश्व के खेल ● भारतीय अनुसंधान संगठन ● प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक	10

	• पुरस्कार एवं विजेता • जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण	
13	अपठित हिन्दी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण-02 गद्यांश (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
14	ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 ग्राफ (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10
15	तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण-02 तालिकाएं (प्रत्येक पर 05 प्रश्न):	10

शर्तें-

- 1- क्रमांक-01 से 09 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर (Difficulty Level) राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद (NCERT) द्वारा निर्धारित सेकेन्ड्री/ सीनियर सेकेन्ड्री स्तर का होगा।
- 2- परीक्षा का प्रकार, वस्तुनिष्ठ प्रकृति का व प्रश्नपत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा।
- 3- प्रत्येक गलत उत्तर हेतु $\frac{1}{4}$ अंक की कटौती की जाएगी।

(Signature)

8

X